



# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

राज कुमार (बि. शि. से.)  
जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

मोबा. :- +918544412208,  
Email ID.- deoararia.edn@gmail.com

सेवा में, पत्रांक 791

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,  
अररिया।

अररिया, दिनांक 17/07/2023

विषय :- वर्ष-2023 अतिथि शिक्षकों के सेवा लेने संबंधित रिक्ति NIC पर अपलोड करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 400, दिनांक 12.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वर्ष-2023 में अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु रिक्ति की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर NIC के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि आज ही NIC के पोर्टल पर रिक्ति अपलोड करने का कष्ट करेंगे।


अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

17/7/23  
जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
अररिया

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया  
अतिथि शिक्षक हेतु विषयवार एवं कोटिवार रिक्त पदों की संख्या

क्र०	विषय	UR	URF	EWS	EWSF	EBC	EBCF	BC	BCF	SC	SCF	ST	STF	RF	कुल	मूक बधिर	श्रवण अक्षरि: बधिर	अस्थि: जन्म	मनोविकार	स्वतंत्रता सेनानि के पोता/पोती/नाती/नाती का शैतिज आरक्षण	अभ्युक्ति
1	गणित	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0
2	भौतिक	2	1	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
3	रसायनशास्त्र	0	3	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
4	अंग्रेजी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
5	प्राणीशास्त्र	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
6	वनस्पतिशास्त्र	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Total		5	5	1	0	3	0	1	2	7	3	1	0	0	28	0	0	0	0	0	0



  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
(माध्यमिक शिक्षा) अररिया


# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया

## सूचना

अररिया जिले के विभिन्न सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र और वनस्पतिशास्त्र विषय में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने हेतु इच्छुक अर्हताधारी अभ्यर्थी दिनांक 17.07.2023 से 20.07.2023 तक आवेदन पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 4:30 बजे तक की अवधि में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। समयावधि के समाप्ति के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को आवेदित विषय में स्नातकोत्तर (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ) बी0एड0 की योग्यता होना अनिवार्य है। एस0टी0ई0टी0 (पेपर-2) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आवेदन के साथ शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, EWS से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करेंगे।

सुविधा के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार के पत्रांक 400 दिनांक 12.07.2023 विभागीय अधिसूचना संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 तथा विषयवार कौटिवार रिक्ति संलग्न है।

  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
(माध्यमिक शिक्षा) अररिया  


  
जिला शिक्षा पदाधिकारी  
अररिया

पत्रांक : 09 / वि०वि०प०स०-09 / 2016 *Y.O.D.*

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवारतय,  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12/07/2023.

विषय : राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।


प्रसंग: विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने का निर्देश देते हुए जिलावार रिक्ति अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए समेकित रूप से उपलब्ध कराया गया है। संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये जिलावार रिक्ति के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुरूप शिक्षक नियोजन होने तक निर्धारित पारिश्रमिक पर अपने आवश्यकतानुसार विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लिये जाने की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए समय तालिका निम्नवत निर्धारित की जाती है :-



क्रमांक	गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	संकल्प में अंकित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा लेने हेतु उपलब्ध करायी गयी रिक्ति के अधीन विद्यालयों से अधियाचना प्राप्त किया जाना।	12 जुलाई, 2023 से 14 जुलाई, 2023
2	विद्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उपलब्ध कराये के रिक्त पदों का सामूहिकीकरण कर रोस्टर तैयार किया जाना।	15 जुलाई, 2023 तक
3	आरक्षण रोस्टर का अनुमोदन!	16 जुलाई, 2023 तक
4	जिलावार विज्ञापन का प्रकाशन जिला स्तर से किया जाना।	17 जुलाई, 2023 को
5	प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त किया जाना।	17 जुलाई, 2023 से 20 जुलाई, 2023 तक
6	मेधा सूची तैयार करना।	21 जुलाई, 2023 को
7	मेधा सूची का प्रकाशन।	22 जुलाई, 2023 को
8	मेधा सूची पर आपत्ति।	24 जुलाई, 2023 को
9	आपत्तियों का निराकरण।	25 जुलाई, 2023 को
10	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन।	26 जुलाई, 2023 को
11	अंतिम मेधा सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से विकल्प प्राप्त करना।	27 जुलाई, 2023 से 28 जुलाई, 2023 तक
12	चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करना।	29 जुलाई, 2023 तक
13	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों आमंत्रित कर योगदान कराना।	30 जुलाई, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक

विभागीय पत्रांक 371 दिनांक 03.07.2023 तथा जिलावार उपलब्ध करायी गयी  
रिक्ति की प्रति विभागीय वेबसाईट [www.educationbihar.gov.in](http://www.educationbihar.gov.in) पर भी देखा या  
डाउन लोड किया जा सकता है।

  
(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

पटना, दिनांक ...12/07/2023

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0-09/2015 4/52.....  
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0)/ सभी  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।  


बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग।  
संकल्प

79  
346

विषय : राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के सहायक शिक्षकों की आवश्यकतानुसार अनुपलब्धता के कारण उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम विशेषतः अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लिया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में राज्य के राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निम्न तालिका अनुसार विषयवार पद रिक्त है :-

क्र०सं०	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	अंग्रेजी	1041
2	गणित	791
3	भौतिकी	1024
4	रसायनशास्त्र	974
5	प्राणीशास्त्र	137
6	वनस्पतिशास्त्र	290
कुल:-		4257

3. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त रिक्त पदों पर राज्य के अर्हताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता विन्ती मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय में 50 % अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी०एड० की डिग्री। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर-II) में उत्तीर्णता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

परन्तु गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषयों के लिए योग्य अर्जियों की अनुपलब्धता की स्थिति में अर्हता न्यूनतम 55 % अंकों के साथ वी0टेक0 अथवा एम0टेक0 की होगी।

अतिथि शिक्षक की सेवा स्वीकृत पद के विरुद्ध आरक्षण नियमों का पालन करते हुए ली जायेगी। इसके लिए विद्यालयवार रिक्त पदों का सामूहिकीकरण कर आरक्षण रोस्टर बनाकर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से उरा पर अनुमोदन प्राप्त किया जायगा। विषयवार रिक्त की गणना के आधार पर संबंधित विद्यालय के तदर्थ समिति की अधियाचना पर व्यापक प्रचार-प्रसार के मद्देनजर संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अतिथि शिक्षक की सेवा ले सकेंगे। यदि अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले व्यक्ति का कार्यकलाप असंतोषजनक पाया जाता है तो विद्यालय की तदर्थ समिति सक्षम प्राधिकार (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का अनुमोदन लेकर अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त कर सकेगी।

5. राजकीय, राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे।

6. उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी, गणित भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के पाठ्यक्रम को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के पश्चात् ही अपेक्षित परिणाम की आशा की जा सकती है। विद्यालयों में वर्तमान छात्र संख्या को दृष्टिपथ में रखते हुए अतिथि शिक्षकों को ₹1000/-प्रति कार्य दिवस की दर से अधिकतम 25 दिन अर्थात् ₹25000/-प्रतिमाह पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है।

7. राजकीय/राजकीयकृत एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने वाले अतिथि शिक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान मांग संख्या-21 के अन्तर्गत विपत्र कोड-2202021090001 के विषय शीर्ष-2802 संविदा सेवायें में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इसके लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित विद्यालय से प्राप्त मांग पत्र के अनुरूप आवंटन संबंधित विद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा विद्यालय के माध्यम से ही ऐसे अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

8. संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य अपने विद्यालय में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सूची बैंक खाता संख्या एवं कार्य दिवस की गणना के साथ संगत शीर्ष से राशि की निकारसी कर RTGS के माध्यम से संबंधित अतिथि शिक्षक के खाते में राशि अन्तरित करेंगे।

9. वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

10. सामान्य प्रशासन विभाग की अनापत्ति संसूचित है।

11. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-  
(सैंबर्ट एल० चोंथू)  
सचिव

ज्ञांपाक : 09 / वि०वि०प०स०-09 / 2015 .....

पटना, दिनांक ..... 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

HO/-  
सचिव,  
शिक्षा विभाग।

178  
24

ज्ञांपाक : 09 / वि०वि०प०स०-09 / 2015 .....

पटना, दिनांक ..... 2018

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, विहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, विहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उपकोषागार पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी अवकाश रक्षित पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

HO/-  
सचिव,  
शिक्षा विभाग।

ज्ञांपाक : 09 / वि०वि०प०स०-09 / 2015 ..... 51 .....

पटना, दिनांक 25-01-2018

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, विहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कर इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

HO/-  
सचिव,  
शिक्षा विभाग।



प्रेषक,  
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव,  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,  
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

विषय : राज्य के सभी जिलों में अवस्थित विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने के संबंध में।

महाशय,  
उपर्युक्त विषय की ओर, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य के सभी जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए कुल-3144 अतिथि शिक्षक विभिन्न कोटि के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे हैं।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 द्वारा किये गये प्रावधानानुसार संदर्भित विषयों के लिए स्वीकृत एवं रिक्त 4257 पदों पर अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जानी है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 3144 अतिथि शिक्षक सेवा दे रहे हैं तथा 1113 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं।

उपरोक्त विषयों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए छात्रहित में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निदेश दिया जा रहा है :-

(i) संलग्न जिलावार रिक्त के तहत अपने जिले में अवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय के लिए आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा विभागीय संकल्प संख्या-51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधानों के तहत लेना सुनिश्चित करें।

(ii) किसी भी परिस्थिति में आपके जिला के लिए उपलब्ध रिक्त से अधिक अतिथि शिक्षक की सेवा नहीं ली जाए।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

पटना, दिनांक 03.07.23

ज्ञापक : 09/वि0वि0प0स0-09/2015 371

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक)/  
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

विभागीय संकल्प सं०-51 दिनांक 25.01.2018 में किये गये प्रावधान के तहत अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने हेतु आवंटित जिलावार रिकित।

क्र०	जिला का नाम	आवंटित रिकित
1	पटना	51
2	नालन्दा	34
3	भोजपुर	32
4	बक्सर	19
5	रोहतास	34
6	भभुआ	20
7	गया	45
8	जहानाबाद	12
9	अरवल	9
10	नवादा	25
11	औरंगाबाद	28
12	मुजफ्फरपुर	50
13	सितामढ़ी	34
14	शिवहर	7
15	वैशाली	37
16	पू० चम्पारण	52
17	प० चम्पारण	40
18	सारण	43
19	सिवान	38
20	गोपालगंज	29
21	दरभंगा	41
22	मधुबनी	50
23	समस्तीपुर	48
24	सहरसा	20
25	सुपौल	23
26	मधेपुरा	22
27	पूर्णिया	32
28	अररिया →	28
29	किशनगंज	17
30	कटिहार	31
31	भागलपुर	34
32	बांका	24
33	मुंगेर	17
34	शेखपुरा	8
35	लखीसराय	12
36	जमुई	21
37	खगड़िया	16
38	बेगूसराय	31
कुल		1113

*1/1/2018*

*(D) POK*

## अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन प्रपत्र

176

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायो में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित सच्च माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर लेने हेतु आवेदन पत्र

अतिथि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक - प्रशिक्षित  अप्रशिक्षित

1. पिता का नाम

2. विषय

3. अभ्यर्थी का नाम :-

4. (क) पिता का नाम :-

(ख) माता का नाम :-

5. जन्म तिथि :-

6. लिंग -

पुरुष

महिला

7. 1<sup>ली</sup> जनवरी को आयु वर्ष  माह  दिन

8. स्थायी पता-ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर

स्थान जिला पिन कोड

मोबाईल नं० ईमेल

9. पत्राचार का पता-ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर

स्थान जिला पिन कोड

10. कोटि :- सामान्य  आरक्षित

11. आरक्षण की कोटि :- अ०ज०  अ०ज०जा०  अ०पि०व०  पि०व०

12. यदि विकलांग हो तो - दृष्टि बाधित  श्रवण बाधित  अस्थिजन्य निशक्त

पासपोर्ट साइज  
का  
स्वअभिप्रेरणापि  
फोटो

3. योग्यता :-

175

शैक्षणिक	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	बोर्ड/परिषद् या विश्वविद्यालय का नाम	सही होने का वर्ष	अध्ययन का विषय	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत अंक
माध्यमिक						
उच्चतर माध्यमिक/ इन्टरमीडिएट						
स्नातक/ स्नातक प्रतिष्ठा						
स्नातकोत्तर						
एम0टेक						
बी0टेक						
प्रशैक्षणिक योग्यता						
बी0एड0						

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही हैं। किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

स्थान .....

तिथि .....

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती ..... से  
 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर सँवा लेने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या ..... है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम